न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा
पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1256/2026
(CNR No. UPET010042752026)

1. शैतान सिंह उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र सरवती,
2. छविराम उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र राम सिंह,
निवासीगण ग्राम गदनपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

----आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

परिवाद संख्या–16427/2023
धारा–420,467,468,471 भा०द०सं०
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **शैतान सिंह** एवं **छविराम** की ओर से परिवाद संख्या–**16427/2023** जुर्म अन्तर्गत धारा–**420,467,468,471 भा०द०सं०,** थाना **कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि कि परिवादिनी कल्पना स्व० मूलचन्द्र की विधिक पत्नी है। उसके पति की मृत्यु दिनांक 12.01.2023 को हो चुकी थी। उसके बाद धर्मेन्द्र व योगेन्द्र ने फर्जी तरीक से व उसके साथ धोखाधडी कूटरचना करके अपने परिवारीजन के नाम राजस्व अभिलेखों में करा लिये है। उसके पश्चात और उसकी व उसके पति की सम्पत्ति को फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा लिया है गाटा संख्या–348/0.028 है0, 434 स/1.214 है0, 485/0.146 है0, 636/1.222 है0, 386/0.279 है0, 387 स/0.231 है0, 595/0.227 है0, 387 स/0.2080 है०, 388/0.028 है0, 598 स/0.020 है0, 599/0.101 है0 में से जो उसके पति के हिस्से की जमीन पर अपने नाम शैतान सिंह, शारदा देवी, मंजेश, छविराम, ललित कुमार, जसमंत, गौरव, रतनेश, मधू, लालू, योगीराज, पीयूष ने फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में धोखाधडी कूटचरना करके उक्त लोगों ने उसकी जमीन अपने नाम राजस्व अभिलेखों में करा ली है। वादिनी को इस बात की कोई जानकारी नहीं हो पाई थी, जब उसने दिनांक 17.07.2023 को खतौनी की नकल तहसील से निकलवायी, तब उसको इस बात की जानकारी हुई थी। वादिनी द्वारा उक्त लोगों से कहा कि तुम लोगों ने मेरी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया है, तो वह लोग मारपीट पर आमादा हो गये तथा जान से मारने की धमकी देने लगे। इस घटना को अनमोल व संजय कुमार ने सब कुछ देखा था।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है। आवेदक शैतान सिंह, मूलचन्द्र का सगा भाई है तथा आवेदक छविराम मूलचन्द्र के सगे भाई का लडका है। दिनांक 12.01.2023 को मूलचन्द्र का देहान्त हो गया था। मूलचन्द्र ने अपने जीवनकाल में केवल एक शादी की थी, मूलचन्द्र की पत्नी का नाम बृजरानी था तथा बृजरानी के पिता का नाम रोशन सिंह था। कल्पना नामक महिला कभी भी मूलचन्द्र की पत्नी नहीं रही, मूलचन्द्र की मृत्यु के समय आयु लगभग 75 वर्ष थी, जबकि कल्पना की जन्मतिथि कागजों के अनुसार 19.02.1995 है। कल्पना की शादी पुष्पेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति से हुई थी। वर्ष 2018 में ग्राम जिनौरा जनपद बंदायू में एक सहायता समूह में

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 14:53:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सदस्यता ग्रहण की थी, जिसमें प्रवेश के वक्त स्वंय अपना समस्त परिचय लिखकर दिया था तथा हस्ताक्षर किए थे। मूलचन्द्र के अपने पूरे जीवनकाल में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि वादिनी कल्पना एक ऐसे गिरोह की महिला प्रतीत होती है, जो गिरोह इस प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को वृद्ध मृतकों की विधवा बताकर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करती है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद सम्बन्धित लेखपाल सम्बन्धित प्रपत्रों में फौती दर्ज कर उसके वारिसों के नाम अभिलेखों में दर्ज करते है। आवेदकगण ने ना तो कोई प्रपत्र उपरोक्त जमीन के सम्बन्ध में तैयार किया और ना ही कराया। वादिनी कल्पना ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर थाने से आख्या प्राप्त हुई, जिसमें कल्पना की शादी पुष्पेन्द्र के साथ होना अंकित है। उनके मुकदमें में कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। वे सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण को अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी एवं साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

चूंकि मामला परिवाद पर आधारित है, जिसमें आवेदक/अभियुक्तगण को एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर तलब किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई विवेचना नहीं की गयी है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/ अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास होने के सम्बन्ध में थाने से आख्या प्राप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **शैतान सिंह** एवं **छविराम** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो–दो जमानते व समान धनराशि के निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

चूंकि आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत जमानतदारों के सत्यापन के अधीन, आवेदक/अभियुक्तगण को नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 10.07.2026

सत्र न्यायाधीश, एटा।